न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No 2022/445
दायरा तिथि : 30.12.2022
फैसला तिथि : 23-01-2024

प्रार्थी:–
भेराराम पुत्र हीराराम जाति देवासी,
निवासी–डुंगरली, तह–बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:–
1. श्री नारायणसिंह राजपुरोहित _____ अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली _____ पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक 23-01-2024

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 पेश कर ग्राम डुंगरली पटवार हल्का सेवतलाव में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 293, 392, 392, 395, 396, 397, 417 कुल खसरा 07 कुल रकबा 13.10 हैक्टर में दर्ज अपने पिता के नाम वीरा को त्रुटिपुर्ण बताते हुये पिता का सही व वास्तविक नाम हीरा दर्ज किये जाने का निवेदन किया। इसके साथ ही प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र मे धारित सह खातेदारी भूमि मे से खसरा नंबर 397 में से अपने हिस्सा से 0.60 हैक्टर भूमि का बेचान दिनोक 26.06.2002 को रेकर्ड मे दर्ज सह खातेदार मोडा पुत्र डोवाजी को किया गया तथा इसके साथ ही सह खातेदरी भूमि मे से 0.40 हैक्टर भूमि का बेचान भूरी पत्नि दीपाराम को दिनाक 09.03.2010 को किया। प्रार्थी अनपढ होने से रेकर्ड मे दर्ज इद्राज का ज्ञान नही रहा। सेग्रीगेशन के बाद की जमाबंदी की नकल पटवारी हल्का से लेने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि प्रार्थी का धारित सह खातेदारी भूमि मे नाम ही दर्ज नही है। तब प्रार्थी ने नकल ली तब जानकारी हुई की संवत 2065–2068 तक की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम दर्ज रहा तथा संवत 2069–2072 की जमाबंदी से नाम विलोपित कर दिया, जबकि प्रार्थी ने केवल (0.60 + 0.40)=1.00 हैक्टर भूमि का ही बेचान किया है। अतः रेकर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का हिस्सानुसार नाम दर्ज किये जाने के लिए निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदर बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधि पटवारी हल्का शिवतलाव ने रेकर्ड में त्रुटि होना स्वीकार किया तथा नामांतरकरण सं. 205 स्वीकृति दिनांक 25.09.2003 का अमल दरामद करते समय खसरा नंबर 397 का खाता अलग कर भेरा पुत्र हीरा का 47/1148 व खरीदकर्ता मोडा पुत्र डोवा का (60/287+ 1/16) हिस्सा अन्य सह खातेदारों के नाम दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की। अपनी जांच रिपोर्ट में सह खातेदार चेना पुत्र रामा द्वारा दिनांक 27.01.2009 को अपना संपूर्ण हिस्सा भूरी पत्नि दीपाराम को बेचान करने तथा प्रार्थी द्वारा की धारित भूमि में से दिनांक 25.06.2010 को 0.40 हैक्टर भूमि का बेचान भूरी पत्नि दीपाराम को करने से नामांतरकरण सं. 333 व नामांतरकरण सं. 355 से खसरा नंबर 293, 392, 393, 395, 396, 417 कुल रकबा 10.23 हैक्टर मे से अन्य सह खातेदार के साथ प्रार्थी भेरा पुत्र वीरा का 908/4092 हिस्सा खरीदकर्ता भूरी पत्नि दीपाराम का 115/4092 हिस्सा मोडा पुत्र डोवा जी 1/16 हिस्सा दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की। इसके साथ ही रिपोर्ट में खसरा नंबर 397 में से रकबा 0.0951 हैक्टर रास्ता नामांतरकरण सं. 389 से दर्ज होने से वर्णित भूमि के तीन खाते दर्ज होना वर्णित किया।

प्रस्तुत जांच रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। वकुलाय की बहस सुनी गई।उपलब्ध रेकॅर्ड के अध्ययन व बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.06.2002 को अपनी सहखातेदारी भूमि में खसरा नंबर 397 में से अपने हिस्से के भूमि का 0.60 हेक्टर भूमि का बेचान मोडा पुत्र डोवाजी रेबारी को किये जाने के बाद दाखिल व स्वीकृत नामांतरकरण सं 205 प्रकरण के निर्णय में आवश्यक दस्तावेज होने से पटवारी हल्का शिवतलाव से उक्त नामांतरकरण की प्रति तलब की गई। विद्वान वकुलाय की बहस एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में विधि के प्रावधानों पर मनन किया। समय –समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों में वर्णित निर्देशों का भी अध्ययन किया गया। धारा 136 में विधि के प्रावधानों अनुसार राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटियों को दोनो पक्षों के सहमत हाने पर बतौर लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर उपखण्ड अधिकारी दुरूस्ती के आदेश पारित कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थी भेरा पुत्र हीरा द्वारा खसरा नंबर 397 में से 0.60 हैक्टर भूमि का बेचान भेरा पुत्र डोवा रेबारी को दिनांक 26.06.2002 को किया गया तथा इसके बाद संपूर्ण धारित भूमि में से उसके हिस्सा में से दिनांक 09.03.2010 को 0.40 हैक्टर भूमि का बेचान किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से प्रमाणित है कि संवत 2065–2068 की जमाबंदी मे रेकर्ड मे दर्ज 1/2 हिस्सा के सह खातेदारान् व खरिदकर्ता के साथ प्रार्थी का नाम दर्ज है, परन्तु संवत 2069–2072 से प्रार्थी का नाम विलोपित कर दिया गया व भूरी पत्नि दीपा (0.40 हैक्टर) 1/2 हिस्सा के सह खातेदारान् के साथ दर्ज कर दिया गया। जिस तथ्य को पटवारी हल्का शिवतलाव ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये नामांतरकरण सं. 205 स्वीकृति दिनांक 25.09.2003 के पश्चात् भूमि के दो अलग –अलग खाते दर्ज किये जाने की राय प्रकट की। अपनी संपुर्ण जांच रिपोर्ट मे अन्य सहखातेदार चेना पुत्र रामा द्वारा दिनांक 27.01.2009 को अपना संपुर्ण हिस्सा भूरी पत्नि दीपाराम रेबारी को बेचान करने तथा प्रार्थी द्वारा भी सह खातेदारी में धारित हिस्सा में से 0.40 हेक्टर का बेचान दिनांक 25.06.210 को भूरी पत्नि दीपाराम रेबारी को करने तथा खसरा नंबर 397 में से 0.0951 हैक्टर भूमि रास्ता का नामांतरकरण सं. 389 दर्ज होने तथा सेग्रीगेशन के बाद कम्प्युटराईज्ड जमाबंदी से प्रार्थी का नाम विलोपित होने तथा खरिदकर्ताओं का हिस्सा त्रुटिपुर्ण अंकन होने से संपुर्ण भूमि के तीन खाते पृथक–पृथक कर रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने बाबत सहमति प्रकट की है।

पेज लगातार.....02

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली ★

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2022/445

अनवान भेराराम बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपलब्ध रेकॅर्ड के अध्ययन के पश्चात प्रार्थना पत्र द्वारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भमि ग्राम डुंगरली के खसरा नंबर 293, 392, 393, 395, 396, 397, 417 कुल खसरा 7 कुल रकबा 13.10 हैक्टर मे बतौर सह खातेदार दर्ज प्राथी के पिता की त्रुटिपुर्ण वलदियत भेरा पुत्र वीरा को समय–समय पर नाम संशोधन बावत जारी परिपत्रों के संदर्भ में दुरुस्त कर सही वलदियत "भेरा पुत्र हीरा दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तथा साथ ही माफिक रिपोर्ट पटवार हल्का शिवतलाव व तहसीलदार बाली वादग्रस्त भूमि डुंगरली के खसरा नंबर 293, 392, 393, 395, 396, 397, 417 कुल खसरा 7 कुल रकबा 13.10 हेक्टर के अनुसार निम्नानसुार तीन अलग–अलग खाते दर्ज कर रिकॉर्ड शुद्धि के आदेश दिये जाते है :–

खाता प्रकार–1. खसरा नंबर 293, 392, 393, 395, 396, 397, 417 कुल खसरा 7 कुल रकबा 13.10 हेक्टर

(1) नाथीया पुत्र लच्छा हि. 1/8,
(2) माला पुत्र लच्छा हि. 1/8,
(3) भेरा पुत्र वीरा हि. 908/4092=227/1023,
(4) भूरी पत्नि दीपा हि. 115/4092,
(5) बाबरिया पुत्र कसा हि. 1/48,
(6) हीरा पुत्र कसा हि. 1/48,
(7) पुरिया पुत्र कसा हि. 1/48,
(8) मूला पुत्र कसा हि. 1/48,
(9) मोडा पुत्र डोवाजी हि. 1/16,
(10) चेना पुत्र रामा हि. 5/96,
(11) मोडा पुत्र लाला हि. 5/96,
(12) सवाराम पुत्र वीराराम(ना.बा.) हि. 1/4,

खाता प्रकार–2. खसरा नंबर 397 रकबा 2.7749 हैक्टर लगान 60.7186

(1) नाथीया पुत्र लच्छा हि. 1/8,
(2) भूरी पत्नि दीपाराम हि. 47/1148,
(3) मोडा पुत्र डोवाजी हि. 60/287 + 1/16
(4) बाबरिया पुत्र कसा हि. 1/48,
(5) हीरा पुत्र कसा हि. 1/48,
(6) पुरिया पुत्र कसा हि. 1/48,
(7) मूला पुत्र कसा हि. 1/48,
(8) माला पुत्र लच्छा हि. 1/8,
(9) चेना पुत्र रामा हि. 5/96,
(10) मोडा पुत्र लाला हि. 5/96,
(11) सवाराम पुत्र वीराराम हि. (ना.बा.) हि. 1/4, एवं

खाता प्रकार–3 खसरा नंबर 397/1 रकबा 0.0951 हैक्टर लगान–0
राजकीय भूमि (पगडंडी व रास्तें)

पटवारी हल्का शिवतलाव व तहसीलदार बाली की रिपोर्ट को आदेश का भाग माना जावें। आदेश प्रति तहसीलदार बाली व पटवार हल्का शिवतलाव को रेकर्ड में अमल दरामद के लिये पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
भू० अभिलेख अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 23-01-2024को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

भू० अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.